

फारम-VIII - क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- तिथि- के संदर्भ में श्रीमति/श्री श्री प्रसाद
के लिए श्री सुनील प्रसाद

- (क) 6.13 भवन के निर्माण
- (ख) भवन के पुनर्निर्माण
- (ग) भवन के परिवर्तन
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन
- भवन के निर्माण नगर-निगम/नगर-परिषद/नगर-पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार
शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित
विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट नं०
(सी०एस०) 743 प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) खाता नं० 979 होलिंग नं०
गोवा मोहल्ला वार्ड नं० के बाबत निम्नलिखित
शर्तों/निर्वहनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-
- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार
के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ सलग्न योजनाओं के अनुसार किया
जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 31.54 मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके
किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 6.10 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से
सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रशुनगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना
प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी
योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ
नगर निगमों/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में मीटर
चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी है,
के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या-अधिकार/हक/हित की बाबत कोई
विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) कोई अन्य शर्त।

प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी
नं० ५० फुलबारी बाजार (पटना)
22/11/16

भवन उपविधि, 2014

102

पुनः पुनः परिषद् से अनापत्ति

22/12/16

नगर कार्यपालिका

नगर परिषद् पुनः पुनः शरीर

22/12/16